FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नादौती जिला करौली जरिये प्राधिकृत अधिकारी राजकुमार मीना

– प्रार्थी

बनाम

1. फूलचंद बैरवा पुत्र श्री रामप्रसाद बैरवा, जाति बैरवा निवासी कैमरी तह0 नादौती जिला करौली।

– अप्रार्थी ऋणी

2. रमेश चंद बैरवा पुत्र श्री रामप्रसाद बैरवा, जाति बैरवा निवासी कैमरी तह0 नादौती।

– जमानती

मु.नं.–39/18 कि.मु.–अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 ता.रजु–28.03.18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28-03-2018	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी/ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी से 5,00,000 रूपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पति ग्राम कैमरी में स्थित भूखण्ड जो 834 वगर्गज का हैं, जिसके उत्तर में कहर सिंह और कमल सिंह का मकान, पश्चिम में पदम् और सौमत्या बैरवा का मकान, दक्षिण में मकान घनश्याम का एवं पूर्व में आम रास्ता स्थित हैं, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 16.08.2016 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 03.03.14 तक 5,01,500.00 (पांच लाख एक हजार पांच सौ मात्र) रूपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थी/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 21.09.2017 को अप्रार्थी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु अप्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त बावत् ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक के द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 21.09.17 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह से प्रयास के बावजूद राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त	

अंग्रे

एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम कैमरी में स्थित भूखण्ड जो 834 वर्गगज का हैं, जिसके उत्तर में कहर सिंह और कमल सिंह का मकान, पश्चिम में पदम् और सौमत्या बैरवा का मकान, दक्षिण में मकान घनश्याम का एवं पूर्व में आम रास्ता स्थित हैं, को अप्रार्थी ने प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक करौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
करौली
28-03-2018